न्यूज़ टुडे

राजेंद्र चोल प्रथम के शानदार समुद्री अभियान के 1,000 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया गया

संस्कृति मंत्रालय **राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण-पूर्व एशिया में समुद्री अभियान की 1,000वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आदि तिरुवातिराई महोत्सव** मना रहा है।

- यह महोत्सव **तमिल शैव भक्ति परंपराओं**, विशेष रूप से चोल राजवंश द्वारा समर्थित **63 नयनारों (संत-कवियों)** को भी सम्मानित करता है।

राजेंद्र चोल प्रथम (1014 से 1044 ईस्वी) के बारे में

- वह **राजराज प्रथम** का पुत्र था, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। **राजराज प्रथम** 985 ईस्वी में राजा बना था।
- उसने गंगा घाटी पर विजय प्राप्त की और **'गंगईकोंडचोल' (गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल)** की उपाधि धारण की।
  - इस विजय की स्मृति में उसने **'गंगईकोंडचोलपुरम' नामक एक नई राजधानी** की स्थापना की और इसी नाम का एक **मंदिर** भी बनवाया।
- उसने **श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया** में शक्तिशाली **श्रीविजय साम्राज्य** के खिलाफ सफल नौसैनिक अभियान किए थे (मानचित्र देखें)।
  - इस विजय से प्रेरित होकर **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम श्री विजयपुरम** रखा गया था।
  - 7वीं शताब्दी तक **श्रीविजय** दक्षिण-पूर्व एशिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति थी।

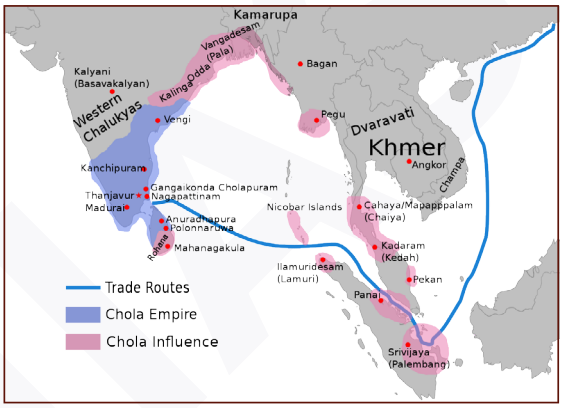

चोल साम्राज्य के बारे में

- **उद्भव:** चोल आरंभ में **उरैयूर में पल्लवों के अधीन छोटे सामंत** थे। वे 9वीं शताब्दी में **विजयालय चोल** के अधीन सत्ता में आए थे।
- **स्थानीय शासन:** सिंचाई व्यवस्था के चलते **उर (गाँव) काफी समृद्ध** हो गए थे। गांवों के समूह को **नाडु** कहा जाता था, जो **न्याय करने और कर वसूलने** जैसे कार्य करते थे।
- **कर प्रणाली:** सामान्य कर प्रणाली में **वेट्टी (जबरन श्रम) और कदमाई (भू-राजस्व)** शामिल थे।
- **मुख्य अभिलेख: उत्तरमेरुर अभिलेख** में चोल प्रशासनिक प्रणाली और चुनावों का विवरण है।
- **सांस्कृतिक संरचनाएं-**
  - **भव्य मंदिर:** महान प्राणवान चोल मंदिर **(गंगईकोंडचोलपुरम, ऐरावतेश्वर और बृहदेश्वर) यूनेस्को विश्व धरोहर** स्मारक हैं।
  - **कांस्य कला:** चोलों को **उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों**, विशेष रूप से विख्यात **नटराज की मूर्ति** के लिए जाना जाता है।

राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक लोक सभा में पेश किया गया

यह विधेयक खेल संस्थाओं के गवर्नेंस में सुधार लाने, खेलों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने और खेल महासंघों से जुड़े विवादों एवं मुकदमों को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर:

- **राष्ट्रीय खेल शासी निकाय:** निम्नलिखित निकायों को उनके संबंधित मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए **राष्ट्रीय खेल शासी निकाय** के रूप में स्थापित किया जाएगा:
  - **राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC):** यह भारत में ओलंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है।
  - **राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (NPC):** यह पैरालंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है।
  - **अन्य निकाय: राष्ट्रीय खेल संघ (NSF), क्षेत्रीय खेल संघ (RSF) आदि।**
- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड:** इसे किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा (बॉक्स देखें)।
- **राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल:** यह राष्ट्रीय खेल शासी निकायों की कार्यकारी और एथलीट समितियों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की देखरेख करेगा।
- **राष्ट्रीय खेल अधिकरण:** इसमें एक अध्यक्ष (सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश) और खेल, लोक प्रशासन एवं विधि विशेषज्ञता वाले दो सदस्य शामिल होंगे।
  - यह अपनी स्वयं की प्रक्रिया बनाएगा और खेल-संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान को सुनिश्चित करेगा। इसका खर्च **भारत की संचित निधि** से वहन किया जाएगा।
  - **अधिकरण** के दायरे में आने वाले मामलों पर **सिविल कोर्ट्स का अधिकार-क्षेत्र नहीं** होगा।
- **आचार संहिता:** प्रत्येक राष्ट्रीय खेल शासी निकाय को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक आचार संहिता बनानी होगी।
- **सुरक्षित खेल नीति और शिकायत निवारण:** इसका उद्देश्य महिला एवं नाबालिग एथलीट्स जैसे सुभेद्य समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड

- **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति:**
  - अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **केंद्र सरकार** द्वारा की जाएगी।
  - अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों के पास **लोक प्रशासन, खेल गवर्नेंस, खेल कानून या संबंधित क्षेत्रों** में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
- **मुख्य कार्य:**
  - राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के एक **रजिस्टर** का रख-रखाव करना।
  - **तदर्थ प्रशासनिक निकायों** को गठित करना, या राष्ट्रीय खेल शासी निकायों को निर्देश देना।
  - खेलों को विकसित करने और एथलीट्स के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों एवं राष्ट्रीय खेल निकायों के साथ सहयोग** करना।
  - ओलंपिक और खेल गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का **अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश** जारी करना।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) के अध्ययन में GST व्यवस्था को प्रगतिशील बताया गया

भारत में **उपभोग कर कुल कर राजस्व के 62% से अधिक है,** जो आय और संपत्ति कर से कहीं अधिक है।

- चूंकि, इसमें **GST का योगदान आधा है, इसलिए इसके बोझ को समझना महत्वपूर्ण है।**

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **GST प्रगतिशील है:** उच्च आय वर्ग के लोग कर के एक बड़े हिस्से का भुगतान करते हैं। इससे कर-पश्चात असमानता कम होती है।
  - **ग्रामीण:** निचले 50% वर्ग द्वारा 31% तथा **शीर्ष 20% वर्ग** द्वारा 37% कर का भुगतान किया जाता है।
  - **शहरी:** निचले 50% वर्ग द्वारा 29% तथा **शीर्ष 20% वर्ग द्वारा 41%** कर का भुगतान किया जाता है।
  - ये आंकड़े **2023 की ऑक्सफैम रिपोर्ट का खंडन** करते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि **गरीब वर्ग दो-तिहाई GST का भुगतान** करते हैं।
- **अलग-अलग टैक्स स्लैब से सहायता:** आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं (जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) पर कम दरों पर कर लगाया जाता है या उन पर छूट (जैसे- खाद्य) दी जाती है। इससे GST अधिक न्यायसंगत हो जाता है।
  - इस अध्ययन में कहा गया है कि **5-12 प्रतिशत की कर श्रेणी में आने वाली मदों पर कर की दर बढ़ाने से कम उपभोग करने वाले वर्ग पर कर का बोझ बढ़** सकता है।
    - GST व्यवस्था को सरल बनाने के लिए **12% GST दर को हटाकर कुछ मदों को 5% स्लैब में तथा अन्य को 18% स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव** किया गया है।

GST दर संरचना में परिवर्तन का **उपभोक्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव** पड़ सकता है, जो इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वे कौन-सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। इसलिए, नीति-निर्माताओं को दरों को संशोधित करते समय इन **वितरणात्मक प्रभावों** पर अवश्य विचार करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया

जलवायु कार्रवाई के प्रति वैश्विक जिम्मेदारियों से संबंधित इस मामले को **130 से अधिक देशों का समर्थन** प्राप्त था। प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र **वानुअतु** के नेतृत्व में दायर यह मामला **विशेष रूप से सुभेद्य लघु द्वीपीय देशों (SIDs) की सुरक्षा** से जुड़ा था।

- 2023 में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने एक संकल्प स्वीकार किया था, जिसमें ICJ से निम्नलिखित मुद्दों पर एक **सलाहकारी राय** देने का अनुरोध किया गया था:
  - पर्यावरण की रक्षा के लिए **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रों के क्या दायित्व** हैं?
  - इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर क्या **कानूनी कार्रवाई** की जा सकती है?

ICJ के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण एक मानवाधिकार है:** सरकारें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसी संधियों से बंधी हुई हैं तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु कार्य करना चाहिए।
- **उत्सर्जन को सीमित करने के लिए सरकारें बाध्य हैं:** देशों को ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन से होने वाले नुकसान को रोकना चाहिए। साथ ही, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C तक सीमित करने के **पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करना** चाहिए।
  - पूर्व-औद्योगिक काल से वैश्विक तापमान पहले ही **1.3°C तक बढ़** चुका है।
- **गैर-अनुपालन के परिणाम:** यदि सरकारें अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती हैं, तो:
  - उन्हें **कानूनी रूप से जिम्मेदार** ठहराया जा सकता है और उन्हें नुकसानदायक गतिविधियां बंद करनी पड़ सकती हैं, तथा
  - इसकी पुनरावृत्ति न करने की **गारंटी देने** और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर **पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान** करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

कुछ देशों, जैसे- **संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस** ने किसी भी न्यायिक निर्णय के जरिए अनिवार्य उत्सर्जन कटौती के प्रावधान का विरोध किया है। हालांकि, ICJ की राय उन पर कानूनी दबाव अवश्य डालती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना **1945 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक निकाय** के रूप में की गई थी।
- **मुख्यालय:** पीस पैलेस (हेग, नीदरलैंड)।
- **मुख्य कार्य:**
  - देशों के बीच **विवादों का निपटारा** करना;
  - अन्य अधिकृत संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा इसे भेजे गए कानूनी प्रश्नों पर **सलाहकारी राय प्रदान** करना आदि।
- **सीमाएं:** केवल तभी मामलों की सुनवाई कर सकता है, जब **देशों द्वारा अनुरोध** किया गया हो।
- **संरचना:**
  - इसमें **संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल** के लिए कुल **15 न्यायाधीश** चुने जाते हैं।
  - न्यायाधीश **स्वतंत्र रूप** से कार्य करते हैं, न कि अपने देश के प्रतिनिधियों के रूप में।
- **प्रासंगिकता:** "**विश्व न्यायालय**" के रूप में लोकप्रिय, **ICJ 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** है।

भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पांच साल पहले ही हासिल किया

इथेनॉल (C_2H_5OH) या एथिल अल्कोहल एक नवीकरणीय ईंधन है। इसे अलग-अलग पादप सामग्री से बनाया जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से **"बायोमास"** कहा जाता है। बायोमास के प्रमुख स्रोत- **गन्ना, मक्का, गेहूं और उच्च स्टार्च सामग्री वाली अन्य फसलें।**

- यह **प्राकृतिक रूप से यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन** से बनता है या **पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं जैसे एथिलीन हाइड्रेशन** से भी तैयार किया जा सकता है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के बारे में

- **शुरुआत:** यह कार्यक्रम **2003** में पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- **लक्ष्य:** राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018) को **2022** में संशोधित कर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण की लक्ष्य तिथि को **2030 से घटाकर 2025-26** किया गया था।
  - इस नीति के तहत **गन्ने के रस, चुकंदर, कसावा और खराब अनाज, सड़े हुए आलू जैसी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सामग्री** से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई है।
  - इसके अलावा, **अधिशेष खाद्यान्नों का उपयोग भी इथेनॉल उत्पादन** के लिए किया जा सकता है। इस **अधिशेष उपज के लिए किसानों को उचित मूल्य** प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **उपलब्धियां:**
  - **इथेनॉल उत्पादन:** 2014 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2025 में 660 करोड़ लीटर से अधिक हो गया है।
  - **1.36 लाख करोड़** रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। किसानों को लगभग **1.2 लाख करोड़** रुपये का भुगतान किया गया है।
  - **लगभग 700 लाख टन CO_2 उत्सर्जन में कमी** आई है।

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **ब्याज अनुदान योजना (2018):** देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता को सुधारने और बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।
- **एथनॉल पर GST घटाकर 5% किया गया (2018):** पहले यह 18% था।
- **नवीन स्रोतों की अनुमति (2019):** इथेनॉल उत्पादन के लिए **चीनी और शुगर सिरप को निश्चित लाभकारी मूल्य** पर शामिल किया गया।
- **उद्योग (विकास एवं विनियमन) (IDR) अधिनियम में संशोधन (2016):** पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु **केंद्र और राज्य सरकार की भूमिकाओं** को स्पष्ट किया गया।
- **मक्के के उपयोग को मंजूरी (2020): राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC)** ने इथेनॉल उत्पादन के लिए **मक्के** के उपयोग की अनुमति दी थी।

अन्य सुर्ख़ियां

वित्तीय स्थिति सूचकांक (Financial Conditions Index: FCI)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक अध्ययन में दैनिक आधार पर बाजार के रुझानों पर नज़र रखने के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक (FCI) की शुरुआत का प्रस्ताव दिया गया है।

वित्तीय स्थिति सूचकांक (FCI) के बारे में

- यह **2012 के बाद से** ऐतिहासिक औसत के संदर्भ में अपेक्षाकृत कठिन या आसान **वित्तीय बाजार स्थितियों के स्तर** का आकलन करता है।
- इसमें चुने हुए संकेतक पांच बाजार खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं: **मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार** और इक्विटी बाजार।
- **FCI का उच्च सकारात्मक मान** यह दर्शाता है कि **बाजार की स्थिति अधिक नियंत्रित** है।

भारत कौशल प्रेरक पहल

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय **ने विश्व आर्थिक मंच (WEF)** के सहयोग से **"भारत कौशल प्रेरक" पर विचार-विमर्श किया।**

कौशल प्रेरक पहल के बारे में

- **मुख्य उद्देश्य**
  - **लोगों को तेजी से करियर बदलने में सक्षम बनाना।**
  - **ऐसे प्रशिक्षण को बढ़ावा देना जिसकी पहुंच अधिक लोगों तक हो।**
  - **शिक्षा को उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप ढालना,** विशेष रूप से **AI, रोबोटिक्स, एडवांसड मेन्यूफेक्चरिंग** और **स्वच्छ ऊर्जा** जैसे क्षेत्रकों में।
- **प्लेटफॉर्म की संरचना:** यह सभी क्षेत्रकों में नवाचार के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक मंच है।
- **WEF की रिस्किलिंग रेवोलुशन का हिस्सा: यह पहल** सरकारों **को हर स्तर के श्रमिकों को,** चाहे उनकी शिक्षा का स्तर या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, नए कौशल सीखने और पहले से मौजूद कौशलों को बेहतर बनाने के लिए **प्रोत्साहित करती है।**

AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय **ने 9 स्थानीय भाषाओं** (जैसे, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़) **में तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने की शुरुआत की है, जिससे युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है।**

AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत के युवाओं के लिए तकनीकी कौशल को सुलभ और समावेशी बनाना।
- **लक्षित समूह:** विशेष रूप से **ग्रामीण या गैर-अंग्रेजी भाषी** पृष्ठभूमि वाले कॉलेज के छात्र, फ्रेश ग्रेटजुएट्स, और करियर की शुरुआत करने वाले पेशेवर।
- **कार्यक्रम में शामिल हैं:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में **निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण।**

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)

गृह मंत्रालय ने **आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (प्रक्रिया) नियम,** 2025 को अधिसूचित किया।

NCMC के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत NCMC **को वैधानिक दर्जा** प्राप्त है।
- **संरचना: कैबिनेट सचिव** इस समिति की अध्यक्षता करते है। इसके सदस्य **गृह सचिव, रक्षा सचिव** आदि होते हैं।
- **शक्तियां और कार्य**
  - यह उन प्रमुख आपदाओं से निपटने के लिए **नोडल निकाय** के रूप में कार्य करती है जिनका देश पर गंभीर या व्यापक प्रभाव पड़ता है।
  - किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करना।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय और निगरानी करना।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)

यूरोपीय आयोग ने **CBAM क्षेत्रों में उत्पादित EU-निर्मित वस्तुओं के लिए कार्बन लीकेज के जोखिम को दूर करने** हेतु एक नया उपाय करने का निर्णय लिया है।

- **कार्बन लीकेज** का मतलब है जब ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करने वाले उद्योगों को **कड़े पर्यावरण मानकों वाले देशों (इस मामले में EU) से हटाकर उन देशों में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर्यावरणीय मानक कमजोर** होते हैं। ऐसा मुख्यतः सख्त मानकों के पालन से बचने के लिए किया जाता है।

CBAM के बारे में

- इसे धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है, जिसके तहत **आयातकों को** 6 CBAM क्षेत्रों में विशिष्ट **वस्तुओं के उत्पादन के कारण कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करना होगा।**
  - इन CBAM क्षेत्रों में सीमेंट, एल्यूमीनियम, उर्वरक, लौह इस्पात, हाइड्रोजन और बिजली शामिल हैं।
- यह कदम **एक संधारणीय और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** देने में महत्वपूर्ण है।

चिकनगुनिया

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि चिकनगुनिया वायरस की एक बड़ी महामारी का दुनिया भर में फैलने का खतरा है और इसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

चिकनगुनिया के बारे में

- **प्रकार:** यह **मच्छर के कारण फैलने वाला एक वायरल रोग** है, जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है।
- **संचरण:** यह संक्रमित **मादा मच्छरों,** विशेष रूप से एडीस एजिप्टी और एडीस एल्बोपिक्टस द्वारा फैलता है। यही मच्छर **डेंगू और जीका रोग** भी फैला सकते हैं।
- **उपचार:** इसका **कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज** नहीं है।
- **भारत सरकार की पहल: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP)** इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों की **रोकथाम और नियंत्रण** के लिए चलाया जा रहा है।

पावर मार्केट कपलिंग

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने निर्देश दिया कि पावर मार्केट कपलिंग जनवरी 2026 से डे-अहेड मार्केट (DAM) के साथ शुरू होगा।

- **डे-अहेड मार्केट (DAM) बाजार** सहभागियों को **अगले दिन के लिए बिजली खरीदने और बेचने में सक्षम बनाता है।**

पावर मार्केट कपलिंग के बारे में

- मार्केट कपलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें **सभी पावर एक्सचेंजों से आने वाले खरीद और बिक्री के ऑर्डर एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं,** और फिर उन्हें मिलाकर **एक समान कीमत** तय की जाती है।
- मार्केट कपलिंग विभिन्न बिजली बाजारों के बीच **मूल्य संबंधी एकरूपता हासिल करने में मदद करता है।**

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग **85 (2024)** से सुधरकर **77 (2025)** हो गई है।

- भारतीय नागरिक अब पहले से **वीजा प्राप्त किए बिना 59 देशों की यात्रा** कर सकते हैं।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में

- यह दुनिया के सभी पासपोर्ट्स की एक **प्रामाणिक और मूल रैंकिंग** है, जो यह दर्शाती है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक **कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के** यात्रा कर सकता है।
- यह रैंकिंग **अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ** (IATA) के विशेष डेटा पर आधारित होती है।
- **सिंगापुर इस सूचकांक में शीर्ष स्थान** पर है।